वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

पत्र संख्या- 97/2025 **दिनांक- 14.03.2025**

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक-14.03.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-

01.थाना-जीयनपुरः- धोखाधड़ी में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहासः-

दिनांक 04.03.2025 को आवेदक रामचेत पुत्र रामसमुझ यादव ग्राम-शाहपुर मौलानी, थाना-कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ का जरिये पेशी तहरीर प्राप्त हुआ कि दिनांक 16.03.2024 को अभियुक्तों 1.कृष्णचन्द राय पुत्र सुखसागर राय ग्राम मोहम्मदपुर फेटी थाना बरदह जनपद आजमगढ़ हा0 मु0 मोहल्ला बदरका थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ 2.राशिद पुत्र मुस्ताक निवासी शाहपुर मौलानी थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ 3.संतोष राय पुत्र महेन्द्र राय निवासी कन्धरापुर पश्चिमपुरा थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ 4.निगम राय पुत्र कृष्णचन्द राय ग्राम मोहम्मदपुर फेटी थाना बरदह जनपद आजमगढ़ हा0 मु0 मोहल्ला बदरका थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ 5.रेनू राय पत्नी कृष्णचन्द राय ग्राम मोहम्मदपुर फेटी थाना बरदह जनपद आजमगढ़ हा0 मु0 मोहल्ला बदरका थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ 6.मो0जाहिद शेख उर्फ गुड्डू पुत्र स्व0 अब्दुल मुनीर शेख निवासी महराजपुर थाना कंधरापुर जनपद आजमगढ़ 7.लवकुश यादव पुत्र शिवप्रसाद यादव निवासी छाता का पुरा थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ हा0 मु0 कंधरापुर थाना कंधरापुर जनपद आजमगढ़ 8.मुन्नू खां पुत्र आलमगीर खाँ निवासी मीना लोहारपट्टी थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा आवेदक को शराब पिलाकर अपने घर मे बन्द कर उसकी जमीन गाटा सं 117 रकबा 0.352 से, गाटा सं 119 रकबा 0.192 को धोखे से अपने नाम एग्रीमेन्ट कराकर तथा दिनांक 18.03.2024 को धोखाधड़ी से दो करोड़ की जमीन 68 लाख रूपये मे दूसरे को रजिस्ट्री कर देना व उक्त समस्त धनराशि को आवेदक के एटीएम व चेक पर शराब पिलाकर हस्ताक्षर कराकर अपने खाते मे वापस ट्रांसफर कर लेने के संबंध में प्राप्त हुआ। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 87/2025 धारा 419/420/467/468/471 भादवि थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ बनाम अभियुक्त उपरोक्त आदि 08 नफर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में मुकदमा उपरोक्त में धारा 120B/364 भादवि की बढ़ोत्तरी व धारा 419/467/468/471भादवि का लोप किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरणः-

आज दिनांक 14.03.2025 को उ0नि0 रविन्द्र प्रताप यादव मय हमराह द्वारा मुखबिर खास की सूचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त सम्बन्धित वांछित अभियुक्त संतोष राय पुत्र महेन्द्र राय निवासी कन्धरापुर पश्चिमपुरा थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 32 वर्ष को उसके घर ग्राम कन्धरापुर पश्चिमपुरा के पास से समय करीब 10.35 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

01. संतोष राय पुत्र महेन्द्र राय निवासी कन्धरापुर पश्चिमपुरा थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोगः-

01. मु0अ0स0 87/2025 धारा 120B/420/364भा0दं0वि0 थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

अपराधिक इतिहासः-

01. मु0अ0स0 87/2025 धारा 120B/420/364भा0दं0वि0 थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

02. थाना-मुबारकपुर:- अन्तर्जनपदीय शातिर एटीएम फ्राड तमंचा व कारतूस एवं 25 भिन्न भिन्न बैंको के एटीएम सहित गिरफ्तार।

पूर्व की घटना–

वादी गुलाब कुमार S/O सुरेश राम ग्राम सराय मुबारक थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ द्वारा दिनांक 06.11.2024 को रोडवेज मुबारकपुर स्थित एटीएम से रूपये निकालने गये थे जहाँ पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा धोखाधड़ी के माध्यम से एटीएम बदल कर 95,000/- रूपया का फ्राड कर लिया। जिसके समबन्ध मे थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0 444/2024 धारा 318(4) बीएनएस बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था, जिसकी विवेचना कस्बा चौकी प्रभारी उ0नि0 मुरारी मिश्र द्वारा सम्पादित की जा रही है। विवेचना से अभियुक्त शंकर कुमार पुत्र रघुनाथ निवासी मेहरावा थाना सराय ख्वाजा जनपद जौनपुर का नाम प्रकाश मे आया।

गिरफ्तारी का विवरण–

आज दिनांक 14.03.2025 को कस्बा चौकी प्रभारी उ0नि0 मुरारी मिश्र मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर जामियाबाद मोड से अभियुक्त शंकर कुमार पुत्र रघुनाथ निवासी मेहरावा थाना सराय ख्वाजा जनपद जौनपुर को समय करीब 12.40 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 25 अदद एटीएम कार्ड, एक अदद तमंचा व एक अदद जिन्दा कारतूस सहित कुल 52,00/- रूपये नकद बरामद किया गया। अवैध तमंचा व कारतूस बरामदगी के संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 105/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 105/2025 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ

आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 429/2021 धारा 379/411/420 भादवि थाना कोतवाली गाजीपुर
2. मु0अ0सं0 199/2021 धारा 420 भादवि थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर
3. मु0अ0सं0 124/2021 धारा 419/420 भादवि व 66डी आईटी एक्ट थाना बहरियाबाद जनपद गाजीपुर
4. 47/2022 धारा 3(1) गैगेस्टर एक्ट थाना गोपीगंज जनपद भदोही
5. मु0अ0सं0 318/2021 धारा 406/419/420 भादवि थाना गोपीगंज जनपद भदोही
6. मु0अ0सं0 316/2021 धारा 411/420 भादवि थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर
7.334/2021 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना गोपीगंज जनपद भदोही
8. 48/2020 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना देवगांव जपनद आजमगढ
9. 193/2016 धारा 379/419/420/467/468/471/511 भादवि व 66 आईटी एक्ट थाना सरायख्वाजा जनपद जौनपुर
10. मु0अ0सं0 444/2024 धारा 318(4) बीएनएस थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ,
11. मु0अ0सं0 105/2025 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ